न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – श्री विनोद कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 23/2018

दायर तारीखः 20.04.2018
निर्णय दिनांकः 21.06.2018
न्याय आपके द्वार केम्पः कनबई

फूलचन्द पिता अनार सिंह वगेरह बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा

:– धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956:–

उपस्थितः

वादी की ओर से :– फूलचन्द पिता अनार सिंह वगेरह

प्रतिवादी की आरे से :– तहसीलदार खेरवाड़ा

:– निर्णयः–

वादी फूलचन्द, भरत कुमार पिता अनार सिंह गरासिया निवासी खूंटवाडा, तहसील खेरवाड़ा की ओर से दिनांक 20.04.2018 को यह वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 प्रस्तुत किया।

वाद पत्र के अनुसार वादी के पिता के राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या 2 में अनु पिता काला गरासिया के बजाय राजस्व रिकोर्ड में अनार सिंह पिता काला गरासिया निवासी खूंटवाड़ा करवाने का प्रार्थना प्रस्तुत किया है।

आज आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 में वादी की मौजूदगी में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद से सम्बन्धित दस्तावेज यथा वादी के पिता का आधार कार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत भाणदा द्वारा प्रमाणीकरण, वार्ड पंच नगजी पिता बदा जी गरासिया के बयान एवं वादी फूलचन्द व भरत कुमार पिता अनार सिंह गरासिया के बयान, पटवारी हल्का भाणदा की रिपोर्ट एवं तहसीलदार खेरवाड़ा की रिपोर्ट में अनु के बजाय अनार सिंह किये जाने की अनुशंषा पेश की गई।

उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में वर्णित जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में खातेदार अनु पिता काला गरासिया के बजाय राजस्व रिकोर्ड में काश्तकार अनार सिंह पिता काला गरासिया निवासी खूंटवाड़ा की रिकार्ड शुद्धि कर अमल दरामद की कार्यवाही हेतु तहसीलदार खेरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प भाणदा में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा